

गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
एक दिवसीय मानवाधिकार कार्यशाला
स्थान: गालिब सभागार, साहित्य विद्यापीठ, दिनांक: 25 जनवरी, 2019

09.30 से 10.00	पंजीकरण	
सत्र : I	भारत में मानवाधिकार की संस्थाएँ	संदर्भ व्यक्ति
10.00 से 11.30	➤ मानवाधिकार संरक्षण कानून 1993 ➤ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्य पद्धतियाँ एवं संचालन ➤ अन्य राष्ट्रीय /राज्य स्तरीय आयोग	डॉ. एम.एल. कासारे, पूर्व निदेशक, भदन्त आनंद कौशल्यायन अध्ययन केन्द्र, वर्धा (महाराष्ट्र)
11.30 से 11.45	चाय अंतराल	
सत्र : II	महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार	
11.45 से 1.15	➤ महिलाओं के प्रति समस्त भेदभाव खत्म करने के लिये संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन (1979) और इसकी वैकल्पिक सांविधिक व्यवस्था ➤ बच्चों के अधिकार के लिये संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन (1989) और इसकी वैकल्पिक सांविधिक व्यवस्था	डॉ. सुरेश खैरनार, अध्यक्ष, भारत फिलीस्टीन संघ संयोजक, ऑल इंडिया सेकुलर फोरम, नागपुर
01.15 से 01.45	भोजन अवकाश	
सत्र : III	अन्य वंचित समूहों के अधिकार	
1.45 से 03.15	➤ बंधुआ मजदूर की समस्या और बंधुआ मजदूर उन्मूलन कानून 1976 ➤ बाल मजदूरों की समस्या और बाल मजदूर उन्मूलन कानून 1986 ➤ एस-सी/एस.टी. समस्या और अनुसूचित जाति/जनजाति संरक्षण (ऐट्रॉसिटी एक्ट 1989), नागरिक अधिकार संरक्षण कानून 1988 एवं वन्य अधिकार कानून 2006	प्रो. मनोज कुमार डीन, विधि विद्यापीठ म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
03.15 से 03.30	चाय अंतराल	
सत्र : IV	मानवाधिकार का सामान्य परिचय	
03.30 से 05.00	➤ संवैधानिक व्यवस्थाएँ ➤ मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र 1948 ➤ मानवाधिकार के संदर्भ विविध अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	डॉ. अशोक पावडे, पूर्व प्राचार्य, विधि महाविद्यालय, नागपुर